FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0035 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/02/2024 20:10 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
2	भा दं सं 1860	384

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/02/2024 **Date To (दिनांक तक):** 22/02/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/02/2024 **Time (समय):** 19:40 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/02/2024 20:10:54 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 13 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** JAGDAMBA DEPARTMENT STOR, HALDIGHATI MARG PRATAP NAGAR, JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Rajan Verma

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Brajlal Verma

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1961 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	77/66, Sector 7, Pratap Nagar Sanganer, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	H 39, B K Dutt Colony, Police Station Lodhi Road, नई दिल्ली, दिल्ली, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9811151897

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Ashok Gautum		पिता:Jeet singh Gotam	1. 175/10,Partap Nagar Sanganar,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
2	Brijmohan Sharma		पिता:Shankerlal Sharma	1. A-503,Secoter 18,Gomti Appartment,Partapnagar,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		17,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 17,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

19.02.2024 को समय 10-00 ए.एम. पर श्री सुरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर द्वितीय जयपुर ने मुझ पुलिस निरीक्षक छोटीलाल मीणा को अपने कक्ष में बुलाकर उनके कार्यालय कक्ष में बैठे व्यक्ति से परिचय कराते हुये बताया कि यह श्री राजन वर्मा है, जिन्होने यह हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दिया है और प्रार्थना-पत्र मुझे सौंपते हुये आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। समय 10-15 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय प्रार्थना पत्र व परिवादी श्री राजन वर्मा के मेरे कक्ष में आया तथा श्री राजन वर्मा से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजन वर्मा पुत्र श्री ब्रजलाल वर्मा, उम्र 63 वर्ष, निवासी मकान नं. एच. 39, बी के दत्त कालोनी, पुलिस स्टेशन लोधी रोड़, कर्बला लोधी रोड़, नई दिल्ली, मोबाईल नंबर 9811151897 होना बताया। इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री राजन वर्मा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र इस आशय का है कि मेरी बहन का मकान 77/66 सेक्टर 7, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर में स्थित है । मेरी बहन अपने मकान के मुख्य द्वार पर लौहे का गेट लगवाया है जिसको अवेध निर्माण बताकर रास्थान आवास मंडल खंड तृतीय जयपुर द्वारा हटाने की कार्यवाही श्री बृजमोहन जी फील्ड आफिसर कर रहे है जबकि हमारा मकान का मुख्य द्वारा आवासन मंडल द्वारा आवंटित रेंप पर ही है लेकिन पिछले 2-3 दिन से श्री अशोक गौतम के मो.नं. 9314214189, 9414736610 से मेरे मो.नं. 9811151897 पर फोन आता है अशोक गौतम अपने आप को प्रोपरटी डीलर बताता है और कहता है कि मैं आवासन मंडल के डिप्टी साहब सुभाषचन्द्र यादव जी, ब्रजमोहन जी से आपका फेसला करवा दूंगा, ये अधिकारी आपको कुछ नहीं कहेंगे, इसके एवज में आप मुझे 8000/- रूपये दे दो। मैं इन अधिकारियों को रिश्वत नही देना चाहता हूं, मेरा इनसे उधार का कोई लेन देन बकाया नहीं है और न कोई रंजिस है, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मैनें अशोक गौतम के मांगने पर दिनांक 16.02.2024 को मेरे जानकार वेल्डर के मोबाईल नं. 9636443434 द्वारा 3000 रूपये अशोक गौतम के फोन पर ट्रांसफर कर दिये तथा उसी दिन शाम को 1500 रूपये मेरी बहन के मोबाईल नं. 9784803105 से अशोक गौतम के मोबाईल नम्बर पर ट्रांसफर कर दिये। परिवादी राजन वर्मा ने प्रार्थना पत्र के साथ आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मंडल खण्ड तृतीय जयपुर सुभाषचन्द यादव द्वारा परिवादी की बहन श्रीमति किरण कुमारी निवासी मकान नं. 77/66, सेक्टर 7, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर को जारी नोटिस क्रमांक 1156 दिनांक 07.02.2024 की प्रति व इस मकान के गेट की कलर फोटो कापी व कालोनी में अन्य मकानों की स्वयं की बहन के मकान के अनुसार पूर्व में निकाले हुए बाहर गेट व रेम्प की पेपर पर निकाली फोटो कुल 4 प्रस्तुत की है, प्रत्येक पर परिवादी श्री राजन वर्मा के हस्ताक्षर हैं। परिवादी ने बताया कि ये लोग रिश्वत की मांग मेरे से ही कर रहे हैं। इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, मजीद दरियाप्त से मामला परिवादी की बहन श्रीमति किरण कुमारी को आवंटित मकान नं. 77/66 के मुख्य गेट व रेम्प तोड़ने का भय दिखाकर लोकसेवक द्वारा रिश्वत की मांग करना पाया जाता है। जिसके लिए परिवादी से संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर परिवादी को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के लिए कहा तो परिवादी नें बताया कि अशोक गौतम जयपुर से बाहर गया हुआ है जिसके आने पर मैं आपके पास उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 21.02.2024 को समय 10.05 ए.एम. पर परिवादी श्री राजन वर्मा मन पुलिस निरीक्षक के पास उपस्थित कार्यालय आया और मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि कल दिनांक 20.02.2024 को अशोक गौतम का मेरे पास फोन आया था और उसनें कहा कि मैं वृंदावन आया हुआ हूं कल जयपुर आउंगा आप पैसों की व्यवस्था रखनां आकर आपकी बहन के मकान का गेट वाला मैटर हाउंसिंग बोर्ड से क्लोज करा दूंगा तथा कल दिनांक 20.02.2024 को हाउसिंग बोर्ड के बृजमोहन जी फील्ड आफीसर भी मुझे मिले थे, जो मेरी बहन के मकान के बाहर लगे गेट

की शिकायत के मैटर को देख रहे हैं उसके बारे में बृजमोहन जी नें मुझसे कहा कि आपके गेट की कम्पलेंट मैं डिप्टी साहब से कहकर खतम करा दूंगा पर आपको इसके लिए डिप्टी साहब और सुभाष यादव जी के लिए 11,000 रूपये रिश्वत के देने होंगे और मेरा खर्चा अलग से देना पडे़गा, तो मैंने बृजमोहन जी को कहा कि आप कुछ खर्चा कम कराओ तो बृजमोहन ने कहा इस मामले मे 11,000 तो आपको देने ही पड़ेंगे। मैंने बृजमोहन जी को कहा कि मेरी बहन के मकान के गेट की शिकायत जिसनें की है उसकी तरफ से अशोक गौतम मेरे से संपर्क करके कह रहा है कि मैं आवासन मंडल के डिप्टी साहब, सुभाष यादव जी, बृजमोहन जी से आपका फैसला करा दूंगा, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, इसके लिए आप 8000 रूपये दे दो, तो बृजमोहन नें कहा अशोक गौतम इस मामले में कुछ नहीं कर सकता आपको उस पर ज्यादा विश्वास है तो चले जाओ उसके पास। इस पर मैंने बृजमोहन को कहा कि आप आवासन मंडल के कर्मचारी हो मुझे तो आप पर ज्यादा विश्वास है मैं कल आपके पास आता हूं। इस प्रकार परिवादी राजन वर्मा द्वारा प्रस्तुत तहरीरि रिपोर्ट तथा बताये गये उपरोक्त तथ्यों के अनुसार राजन वर्मा की बहन के मकान के बाहर लगे गेट के अवैध निर्माण से संबंधित नोटिस में कार्यवाही नहीं करने के लिए प्राईवेट व्यक्ति अशोक गौतम तथा परिवादी के अनुसार बताये गये आवासन मंडल के फील्ड आफीसर बृजमोहन द्वारा पृथक-पृथक स्तर पर स्वयं तथा आवासन मंडल के डिप्टी साहब, सुभाष यादव आवासीय अभियंता के लिए रिश्वत की मांग किया जाना ज्ञात हुआ है। जिसमें अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी की अशोक गौतम तथा बृजमोहन से पृथक-पृथक सत्यापन वार्ता कराया जाना आवश्यक होने से मन पुलिस निरीक्षक नें श्री पूरण सिंह हैड कानि 95 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री राजन वर्मा से परिचय करवाया जाकर प्रार्थना पत्र पढवाया गया तथा कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर निकालकर उसका खाली होना सुनिश्चित कर, डिजीटल वाईस रिकार्डर में नया SanDisk 32 जी.बी. माईक्रो एस. डी. कार्ड लगाकर परिवादी श्री राजन वर्मा को चलाने व बंद करने की विधि समझाई जाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री पूरण सिंह हैड कानि 95 को सुपुर्द किया गया। परिवादी को शिकायत के संबंध में अशोक गौतम तथा बृजमोहन के पास जाकर उनसे अपनी बहन के मकान का गेट नहीं तोड़ने व उसके बदले मांगी गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत करने और सम्बन्धित वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करने की हिदायत कर श्री पूरण सिंह हैड कानि 95 व परिवादी श्री राजन वर्मा को मय डिजीटल वाईस रिकार्डर के रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। समय 1.00 पी.एम. पर श्री पूरण सिंह हैड कानि 95 मय परिवादी श्री राजन वर्मा के उपस्थित कार्यालय आये तथा श्री पूरण सिंह हैड कानि. 95 ने डिजीटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी श्री राजन वर्मा नें बताया कि आपके कार्यालय से रवाना होकर हम हाउसिंग बोर्ड के आवासीय अभियंता कार्यालय प्रताप नगर हल्दीघाटी मार्ग के बाहर पहुंचकर मैंने अपने मोबाईल से श्री बृजमोहन के मोबाईल पर फोन कर मैंने पूछा आप कहां हो तो उसनें कहा कि मैं साईट पर हूं आधे पौने घंटे में आउंगा तब मिल लूंगा। तब मैंने अपने मोबाईल से अशोक गौतम के मोबाईल पर फोन किया तो उसने कहा कि मैं अभी पन्नाधाय सर्किल पर फर्नीचर की दुकान पर हूं, मेरे से पूछा आप कहां हो तो मैंने कहा हल्दीघाटी गेट के बाहर हूं, तो उसने कहा ठीक है मैं आता हूं। थोड़ी देर बाद अशोक गौतम का मेरे पास काल आया जिसने मुझे 10 मिनिट में हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के बाहर आने की बात कही। अशोक गौतम के हल्दीघाटी डी-मार्ट पर मोटर साईकिल से आने पर मैंने पूरण सिंह को कहा कि अशोक गौतम आ रहा है तो पूरण सिंह हैड कानि. ने डिजीटल वाईस रिकार्डन आन कर मुझे सुपुर्द कर दिया और स्वयं वहीं खड़े होकर स्वयं की उपस्थिति छिपाते हुए निगरानी करने लगे और अशोक गौतम मेरे पास आया और मेरे से मेरी बहन के मकान के बाहर बने गेट के निर्माण के बारे में आवासन मंडल द्वारा जारी नोटिस की कार्यवाही बन्द कराने के बारे में बात की और मुझे कहा कि आप निश्चिन्त रहो मेरी बात हो चुकी है, डिप्टी साहब कुछ नहीं करेंगे, मैंने कहा कि मुझे कार्यवाही नहीं होने के बारे में लिखित में कोई सूचना तो दिलवाओगे। इस पर अशोक गौतम नें मुझे कहा आप विश्वास रखो हम कई काम कराते हैं, लो मैं आपके सामने डिप्टी साहब को काल करके कह देता हूं। इसके बाद अशोक गौतम ने डिप्टी साहब को काल करके मेरे सामने कहा कि डिप्टी साहब हमारा समझौता हो गया है आप कोई कार्यवाही मत करनां। फिर मैंने अशोक जी को पूछा कि क्या करना है अब, तो अशोक गौतम ने कहा कि देख लो आपको जो इच्छा हो पांच कर दो। फिर मैंने कहा कि मैं साढ़े तीन हजार कर देता हूं, तो अशोक गौतम ने कहा कि हजार पन्द्रह सौ और कर दो, फिर मैंने अशोक गौतम को कहा कि मैं पैसे कल दे के जाउंगा, आज मेरे पास नहीं हैं, तो अशोक गौतम ने कहा कि तेरी जेब में जो कुछ है वो दे दे, तो मैंने अशोक गौतम को कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है मैं पैसे कल दे जाउंगा। इस बात पर अशोक गौतम मेरे पर काफी नाराज हुआ और मेरे को साढ़े तीन हजार रूपये के लिए दो घंटे का समय देते हुए चला गया। यह बात मैंने वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की थी। उसके जाने के बाद पूरण जी मेरे पास आये जिनको मैंने वाईस रिकॅार्डर दिया जिन्होंने वाईस रिकार्डर को आफ करके अपने पास रख लिया। इसके पश्चात मैंने अपने मोबाईल से बृजमोहन के मोबाईल पर फोन से वार्ता अपने मोबाईल के स्पीकर को आन करके शुरू की तो श्री पूरण सिंह हैड कानि. ने इस वार्ता को डिजीटल वाइस रिकार्डर में रिकार्ड किया था। जिसमें बृजमोहन मुझे यह कहता है कि पांच मिनिट में आकर मिलता हूं। उसके बाद बृजमोहन का मेरे पास आने का समय होने के कारण पूरण जी नें अपने पास से डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके मुझे दिया था जो मैंने अपनी पहनी हुई स्वेटर के नीचे पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में रख लिया था। पूरण सिंह जी मेरे से कुछ दूरी पर जाकर अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मेरे पर निगरानी रखे हुए थे। कुछ समय बाद बृजमोहन का मेरे पास मोबाईल फोन आया कि कहां हो तो मैंने

उसे बताया कि मैं यही हूं, आप आ गये क्या, तो उसनें कहा पार्किंग मंे आ जाओ, तो मैं वहां से पैदल पैदल आवासन मंडल की पार्किंग में पहुंचकर बृजमोहन जो खड़ा था के पास पहुंचा। जिसने मेरे से वार्ता की और मेरी बहन के मकान के गेट के निर्माण के संबंध में आवासन मंडल द्वारा जारी नोटिस में कार्यवाही नहीं करने के लिए आवासन मंडल के साहब के लिए 11,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की। मेरे द्वारा कुछ राशि कम करने के लिए कहने पर बृजमोहन ने मना कर दिया और कहा 11,000 रूपये तो देने ही पड़ेंगे, आप मेरे साथ चल चलना मैं आपको साहब से मिलवा दूंगा, और बृजमोहन ने आवासन मंडल के साहब के लिए 11,000 रूपये के अलावा स्वयं के लिए 3000 रूपये की मांग की है। मेरे द्वारा अभी पैसों की व्यवस्था नहीं होने और कल 11,000 रूपये आवासन मंडल के साहब के लिए तथा 3000 रूपये बृजमोहन द्वारा स्वयं के लिए लेकर आने की बात कहने पर बृजमोहन ने कल दिनांक 22.02.2024 को 11 बजे आने की बात तय करके बृजमोहन चला गया। इसके बाद मैंने रिकार्डर पूरण जी को दे दिया जिन्होंने वाईस रिकार्डर को बंद करके अपने पास रख लिया और हम दोनों कार्यालय में आ गये। श्री पूरण सिंह हैड कानि. नें भी परिवादी के द्वारा बताई गई बातों की ताईद की। इस पर वाईस रिकार्डर को आन करके मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी राजन वर्मा की उपस्थिति में वार्ता सुनी गई तो परिवादी द्वारा बताये तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया। अब तक के घटनाक्रम, परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, अशोक गौतम व बृजमोहन से हुई परिवादी की सत्यापन वार्ताओं से स्पष्ट होता है कि परिवादी राजन वर्मा की बहन श्रीमति किरण कुमारी पुत्री कृष्ण कुमार वर्मा के मकान नं. 77/66, सेक्टर 7, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के सामने अवैध निर्माण (गेट) हटाने के संबंध में कार्यालय आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मंडल, खण्ड-तृतीय, जयपुर सुभाषचन्द यादव द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 1156 दिनांक 07.02.2024 में कार्यवाही नहीं करने के लिए अशोक गौतम मोबाईल नं. 9314214189, 9414736610 के द्वारा शिकायतकर्ता से समझौता करवाकर आवासन मंडल के डिप्टी साहब के द्वारा कार्यवाही नहीं करने के लिए परिवादी राजन वर्मा से 3500 रूपये की मांग की जा रही है तथा आवासन मंडल के उपरोक्त नोटिस पर कार्यवाही नहीं करने के लिए आवासन मंडल के फील्ड आफीसर बृजमोहन द्वारा आवासन मंडल के साहब के लिए 11,000 रूपये की रिश्वत राशि व स्वयं के लिए 3000 रूपये की मांग करने व परिवादी को आवासन मंडल के साहब से मिलाने की बात करते हुए कार्यवाही नहीं करने के लिए मांगी जा रही है कुल 14,000 रूपये की रिश्वत की मांग की गई है। अतः परिवादी राजन वर्मा से संबंधित मामले में आवासन मंडल के कर्मचारी बृजमोहन व अशोक गौतम के द्वारा पृथक-पृथक रिश्वत की मांग के संदर्भ में अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया तथा परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु बृजमोहन व साहब को दी जाने वाली रिश्वत राशि 14,000 रूपये व अशोक गौतम को दी जाने वाली रिश्वत राशि 3500 रूपये कुल 17,500 रूपये की व्यवस्था कर प्रातः 9-30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 22.02.2024 को समय 9-30 ए.एम. पर परिवादी राजन वर्मा तथा पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री तुलसीराम हाल वरिष्ठ सहायक तथा श्री जगदीश नावरिया हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय कृषि उपज मंडी, सूरजपोल, जयपुर उपस्थित कार्यालय आये। दोनो स्वतंत्र गवाहान से ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही में शामिल होने की मौखिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत उपस्थित परिवादी राजन वर्मा से परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गवाहान को अवलोकन करवाकर प्रार्थना पत्र पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही के तथ्यों से अवगत कराकर परिवादी तथा अशोक गौतम व बृजमोहन के मध्य दिनांक 21.02.2024 को हुई सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है को परिवादी की उपस्थिति में गवाहान को सुनाई गई। समय 10-15 ए.एम. पर उपस्थित परिवादी राजन वर्मा को गवाहान की उपस्थिति में राजस्थान आवासन मंडल के फील्ड आफीसर बृजमोहन के माध्यम से आवासन मंडल के साहब को दी जाने वाली रिश्वत राशि 11,000 रूपये तथा बृजमोहन को स्वयं के लिए दी जाने वाली राशि 3000 रूपये तथा अशोक गौतम को दी जाने वाली राशि 3500 रूपये कुल 17,500 रूपये प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो परिवादी श्री राजन वर्मा ने स्वयं के पास से 500-500 रूपये के 35 नोट कुल 17,500 रूपये प्रस्तुत किये गये, जो उपस्थित गवाह श्री तुलसीराम से गिनवाने के उपरांत उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करने के उपरांत उक्त नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने के लिए कार्यालय से श्री राजकुमार ए.एस.आई. को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी लेकर तलब किया तथा श्री राजकुमार ए.एस.आई. से गवाहान की उपस्थिति में परिवादी द्वारा प्रस्तुत 17500 रूपये के नोटों पर टेबिल पर अखबार बिछवाकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री जगदीश नावरिया से लिवाई जाकर परिवादी के पास उसके मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं पाई जाने के उपरांत 17500 रूपये के 35 नोटों में से 11,000 रूपये कुल 22 नोट तथा 3000 रूपये कुल 6 नोट कुल राशि 14000 रूपये को श्री राजकुमार ए.एस.आई. से परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में पृथक-पृथक दो गड्डियों (11000 व 3000 रूपये की) के अनुरूप बृजमोहन, आवासन मंडल के साहब को दिये जाने के लिए रखवाये गये। फिनोफ्थलीन पाउडर लगी शेष राशि 3500 रूपये श्री राजकुमार ए.एस.आई. से परिवादी श्री राजन वर्मा की पहनी हुई पेंट की पीछे की दाहिनी जेब में अशोक गौतम को दिये जाने के लिए रखवाये गये। बृजमोहन को दी जाने वाली रिश्वत राशि 14000 रूपये (11000 तथा 3000 रूपये) व अशोक गौतम को दी जाने वाली रिश्वत राशि 3500 रूपये के नोटों के नम्बर फर्द में पृथक पृथक विवरण दर्ज किया। तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वत लेन-देन के समय आवासन मंडल के कर्मचारी बृजमोहन व अन्य तथा अशोक गौतम द्वारा

रिश्वत की मांग किये जाने पर ही इनको रिश्वत राशि का लेन-देन करे, इससे पूर्व इस राशि को हाथ नहीं लगाये तथा रिश्वत लेन-देन के उपरांत मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस काल/काल अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत लेन-देन का निर्धारित ईशारा करे। परिवादी व गवाहान को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया मुताबिक फर्द दृष्टांत देकर समझाई गई। परिवादी श्री राजन वर्मा को पूर्व में उक्त कार्यवाही में काम में लिया जा रहा एस.डी. कार्ड लगा डिजीटल वाईस रिकार्डर की इस्तेमाली प्रक्रिया समझाईश कर रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने की हिदायत कर सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी रिश्वत राशि व दृष्टांत फिनोफ्थलीन तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11-40 ए.एम. पर मुनासिब हिदायत कर परिवादी श्री राजन वर्मा को श्री पूरण सिंह हैड कानि. 95 के साथ मोटर साईकिल से रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक पुलिस, श्री भंवर सिंह पुलिस निरीक्षक, अशोक कुमार हैड कानि. 149, श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 55, श्री विरेन्द्र कुमार कानि0 66, श्री शफी मोहम्मद कानि. 173, श्रीमती ममता म. कानि. 251, श्री वीरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक एवं स्वतंत्र गवाह श्री तुलसीराम वरिष्ठ सहायक, श्री जगदीश नावरिया कनिष्ठ सहायक मय टेप बाक्स एवं कार्यालय का सरकारी लेपटाप मय प्रिन्टर के जरिये सरकारी वाहनों के परिवादी से उचित दूरी बनाते हुये परिवादी के पीछे-पीछे आवासन मंडल कार्यालय प्रताप नगर के लिए रवाना हुये तथा श्री राजकुमार ए.एस.आई. को मुनासिब हिदायत कर कार्यालय मे ही छोड़ा गया। रवाना होकर समय 12.00 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान सरकारी वाहनों से पन्नाधाय सर्किल के पास पंहुचे जहां पर परिवादी राजन वर्मा व श्री पूरण सिंह हैड कानि उपस्थित मिले। परिवादी श्री राजन वर्मा ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे पास अशोक गौतम के फोन आ रहे है जिस पर परिवादी राजन वर्मा के मोबाईल का स्पीकर आन कर अशोक गौतम के मोबाईल पर काल करवाकर वार्ता करवाई तो परिवादी राजन वर्मा ने अशोक गौतम को पन्नाधाय सर्किल के पास होना बताया तो अशोक गौतम ने परिवादी को कहा कि कहां हो तो परिवादी ने कहा कि आप परि रेस्टोरेन्ट के सामने बैल्डिंग की दुकान के पास आ जाओ मैं दस मिनट मे पंहुच रहा हूं। इस वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड करवाई गई। इसके बाद डिजीटल वाईस रिकार्डर समय 12.05 पीएम पर आन कर परिवादी राजन वर्मा को सुपुर्द कर वास्ते रिश्वत लेनदेन पन्नाधाय सर्किल के पास जगदम्बा डिपार्टमेन्टल स्टोर के पास बैल्डींग की दुकान की तरफ रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान के अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुये। परिवादी श्री राजन वर्मा ने समय 12.15 पी.एम. पर पन्नाधाय सर्किल के पास स्थित जगदम्बा डिपार्टमेन्ट स्टोर के सामने खाली प्लाट के पास सडक पर खडे खडे अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत लेन देन का नियत ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के पन्नाधाय सर्किल के पास स्थित दुकानों के पास खडे परिवादी राजन वर्मा के पास पहुंचे परिवादी श्री राजन वर्मा से डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर कब्जा एसीबी लिया तथा परिवादी राजन वर्मा ने अपने पास खडे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा करके बताया कि यही अशोक गौतम है, जिन्होंने अभी-अभी मेरे से मेरी बहिन श्रीमति किरण कुमारी के मकान नं. 77/66, सेक्टर 7, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के सामने गेट नहीं हटाने व कार्यालय आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मंडल, खण्ड-तृतीय, द्वारा जारी नोटिस में कार्यवाही नहीं करने के लिए आवासन मंडल के डिप्टी साहब के द्वारा कार्यवाही नहीं करने की ऐवज में 3500/- रूपये रिश्वत राशि मेरे से अपने दाहिने हाथ में प्राप्त की है जो इनके अभी भी इनके हाथ में है। इस पर आरोपी अशोक गौतम के दांये व बांये हाथ को पोंचो से हमराह जाब्ता से पकडाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व स्वतंत्र गवाह एवं एसीबी जाप्ता का परिचय देकर श्री अशोक गौतम को अपना नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री अशोक गौतम पुत्र स्व. श्री जितसिंह गौतम, जाति ब्राहम्ण, उम्र 54 साल, निवासी मकान नम्बर 175/10, प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर, हाल प्रोपर्टी एजेन्ट/कमीशन एजेन्ट होना बताया। इस पर आरोपी अशोक गौतम के हाथ मे पकडी हुई राशि गवाह श्री जगदीश नावरिया को दिलवाकर गिनवाई गई तो पांच-पांच सौ रूपये के 7 नोट कुल 3500 रूपये होना पाये गये उक्त नोटों को फर्द पेशकशी मिलान करने पर अशोक गौतम को दी जाने वाली रिश्वती राशि 3500 रूपये पांच -पांच सौ रूपये के 7 नोट मुताबिक फर्द पेशकशी के होना पाये जाने पर गवाह जगदीश नावरिया के पास सुरक्षित रखवाई गई। चूंकि इस संबंध में अन्य संदिग्ध श्री बृजमोहन द्वारा स्वंय व आवासन मण्डल के साहब के लिए भी रिश्वत राशि की मांग की गई है वह भी उसके मांगे अनुसार दी जानी है अतः गोपनियता के मध्यनजर श्री अशोक गौतम को हाथ पकडी अवस्था मे जाब्ते की मदद से सरकारी वाहन मे बैठाया जाकर हमराहियान जाब्ते मे से भंवर सिंह पुलिस निरीक्षक, अशोक हैड कानि0 149, सफी मोहम्मद कानि 173, विरेन्द्र कानि0 66, व स्वतंत्र गवाह श्री तुलसीराम के साथ मौके से गोपनियता बरतते हुये प्रतापनगर थाने की तरफ रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक ने बृजमोहन के विरूद्व शेष अग्रीम कार्यवाही हेतु मय परिवादी राजन वर्मा तथा शेष हमराहियान के रवाना होकर हाउसिंग बोर्ड कार्यालय प्रतापनगर के बाहर पंहुच कर समय 12.24 पीएम पर परिवादी राजन वर्मा को डिजीटल वाईस रिकार्डर आन करके सुपुर्द करके बृजमोहन के पास रिश्वत लेनदेन हेतु हाउसिंग बोर्ड कार्यालय मे रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक शेष हमराहियान के परिवादी के ईशारे के इंतजार मे हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के बाहर उपस्थिति छुपाता हुये मुकीम हुआ, करीब पांच मिनट पश्चात परिवादी राजन वर्मा पैदल पैदल मन पुलिस निरीक्षक के पास आया जिससे डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर स्वंय के पास सुरक्षित रखा। आमदा परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि

मैं हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के अन्दर गया, मुझे बृजमोहन नही मिला तथा उसका मोबाईल भी स्वीच आफ है। इसके उपरान्त मन पुलिस निरीक्षक हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के पास मौजुद शेष हमराहियान जाब्ता व स्वतंत्र गवाह जगदीश नावरिया, परिवादी राजन वर्मा के साथ प्रतापनगर थाने के लिए रवाना हुआ, पुलिस थाना प्रतापनगर के बाहर पूर्व से रवानाशुदा श्री भंवर सिंह पुलिस निरीक्षक मय उनके हमराह जाब्ते व डिटेनशुदा आरोपी अशोक गौतम व गवाह तुलसीराम के मौजुद मिले जिन्हे हमराह लेकर पुलिस थाना प्रतापनगर पंहुच कर एचएम थाना प्रशासन थाना प्रतापनगर से मिलकर गोपनीय कार्यवाही करने हेतु स्थान उपलब्ध कराने का निवेदन करने पर उन्होनें थाना प्रतापनगर के स्वागत कक्ष में कार्यवाही करने की सहमति प्रदान करने पर थाने के स्वागत कक्ष में अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की। तत्पश्चात आरोपी श्री अशोक गौतम को परिवादी श्री राजन वर्मा से प्राप्त की गई रिश्वती राशि 3500/- रूपये के बारे में पूछा तो आरोपी श्री अशोक गौतम ने कहा कि वर्माजी ने मुझे कहा कि हमारे मकान के गेट को हाउसिंग बोर्ड से तुडवाने से बचाओ और आपकी कोई जानकारी हो तो मदद करो, और कोई जान पहचान हो तो उसको भी फोन कर दो और जो आपका मेहनताना है, आपका आना जाना और जो खर्चा होगा वो मै दे दुंगा जिस पर मैंने हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी साहब चैधरीजी को फोन करके कहा कि आप वर्माजी के मकान का गेट नही तोडे। इसी ऐवज में वर्माजी ने मेरे को मेरे मेहनताना के 8000 रूपये देना तय किया था जिसमे से पूर्व में दो बार 3000 रूपये व 1500 रूपये कुल 4500 रूपये आनलाईन मेरे मोबाईल नम्बर 9314214189 पर डाले थे तथा शेष 3500 रूपये आज दिये है इस पर परिवादी राजन वर्मा ने कहा कि ये झुठ बोल रहे है, इन्होने मेरी बहिन किरण कुमारी के मकान नं. 77/66, सेक्टर 7, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के सामने गेट नही हटाने, कार्यालय आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मंडल, खण्ड-तृतीय, जयपुर द्वारा जारी नोटिस में कार्यवाही नहीं करने के लिए व आवासन मंडल के डिप्टी साहब के द्वारा कार्यवाही नहीं करने के लिए 8000 रूपये की मांग की गई थी जिसमे से मैने पूर्व में एक बार 3000 रूपये मेरे जानकार वेन्डर के मोबाईल नम्बर 9636443434 से व एक बार 1500 रूपये मेरी बहन के मोबाईल नम्बर 9784803105 से अशोक गौतम के मोबाईल नम्बर 9314214189 पर कुल 4500 रूपये आनलाईन डाले थे तथा शेष 3500 रूपये आज दिये है। तत्पश्चात परिवादी राजन वर्मा एवं उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप बाक्स से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोटल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी अशोक गौतम के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शिशीयों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क AR-1 व AR-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री राजन वर्मा तथा आरोपी श्री अशोक गौतम के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही ट्रेप बाक्स से दुसरा साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोटल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी अशोक गौतम के बांये हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी झांईनुमा हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी झांईनुमा होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की षीषियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क AL-1 व AL-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री राजन वर्मा तथा आरोपी श्री अशोक गौतम के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात गवाह श्री जगदीश नावरिया के पास सुरक्षित रखवायी गई राशि को पुनः गिनवाया तो पांच सौ-पांच सौ रूपये के 7 नोट कुल 3500 रूपये होना पाये गये जिनका कार्यालय मे पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से पुनः मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने नोटों के नम्बरों का व फर्द मे अंकित नम्बरों से हुबहु मिलान होना बताया। उक्त बरामदशुदा नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाकर बरामद शुदा पांच-पांच सौ रूपये के 07 नोट कुल 3500 रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर गवाहान व परिवादी तथा आरोपी श्री अशोक गौतम के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी अशोक गौतम की जामा तलाशी गवाह श्री तुलसीराम से लिवाई गई तो पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में स्वयं का पी.एन.बी. बैंक का एक डेबिट कार्ड, स्वयं का पेनकार्ड, एक खाली चैक, मोटर साईकिल की चाबी, एक मोबाईल फोन सेमसंग कंपनी का, 1000/-रूपये नगद, मिले। उपरोक्त नगद 1000 रूपये के बारे में अशोक गौतम ने घर से लाना बताया। इसी दौरान परिवादी राजन वर्मा के मोबाईल पर समय करीब 01.30 पीएम पर मोबाईल नम्बर 9928998883 से काल आया तो परिवादी ने इस नम्बर पर वार्ता कर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि इस नम्बर से बृजमोहन का काल आया है उसने मुझे आधा घण्टे बाद हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के बाहर बुलाया है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने अशोक गौतम को थाना प्रतापनगर के स्वागत कक्ष में विरेन्द्र कानि0, अशोक हैड कानि0, सफी मोहम्मद कानि, ममता मकानि0 विरेन्द्र वरिष्ठ सहायक की निगरानी मे छोडा गया तथा अब तक की गई कार्यवाही के दौरान लिये गये आर्टिकल्स को भी उपस्थित जाब्ता को सुरक्षित रखने के निर्देश देकर मन पुलिस निरीक्षक ने हमराहियान जाब्ते, गवाहान, परिवादी राजन वर्मा के हाथ स्वागत कक्ष के पास स्थित बाथरूम में साबुन

व पानी से धुलवाने के उपरान्त समय 01.45 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय शेष हमराहियान जाब्ते, स्वतत्र गवाहान के सरकारी वाहनों से तथा परिवादी राजन वर्मा को आवश्यक हिदायत कर डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर श्री पूरण सिंह हैड कानि0 के साथ सरकारी मोटरसाईकिल से हाउसिंग बोर्ड कार्यालय प्रतापनगर के लिए रवाना होकर करीब 02.00 पीएम पर हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के बाहर पंहुच कर अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुये। परिवादी राजन वर्मा ने बृजमोहन को उसके मोबाईल पर काल किया तो बृजमोहन ने हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के बाहर बनी चाय की थडी पर आने की बात कही इस पर परिवादी को मन पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वाईस रिकाॅर्डर आॅन कर सुपुर्द किया तथा परिवादी राजन वर्मा को वास्ते रिश्वत लेनदेन हेतु रवाना किया, परिवादी रवाना होकर बृजमोहन के बतायेनुसार हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के बाहर बनी चाय की थडी पर चला गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के अपनी उपस्थिति छुपाते हुये निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे मुकीम हुआ। करीब 2.30 पीएम पर परिवादी के पास एक 30-32 साल का एक व्यक्ति पेन्ट जैकेट पहने हुये आया व परिवादी इस व्यक्ति के साथ चाय की थडी के पास जाकर बैठ गया। समय करीब 03.00 पीएम पर परिवादी राजन वर्मा अपने साथ गये व्यक्ति के साथ चाय की थडी के बाहर आया तथा अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत लेनदेन का नियत ईशारा किया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता, गवाहान के परिवादी के पास पंहुचा तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी राजन वर्मा ने साथ खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा करके बताया कि यही बृजमोहन है जिसने मेरे से अभी 11000 रूपये आवासन मण्डल के साहब के लिए व 3000 रूपये स्वंय के लिए कुल 14000 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जैकेट की जेब मे रख लिये है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व स्वतंत्र गवाह व जाब्ता का परिचय देकर परिवादी के पास खडे व्यक्ति को दोनो हाथों को उसी अवस्था में हमराही जाब्ता से पोंचों से पकडावा कर नाम पता पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम श्री बृजमोहन शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा, उम्र 31 साल, निवासी ग्राम रामसरपालावाला, तहसील बस्सी, थाना कानोता जिला जयपुर हाल फ्लेट नम्बर ए-503, गौमती अपार्टमेन्ट, सेक्टर 18, प्रतापनगर, जयपुर हाल सुपरवाईजरी सुपर एक्स सिक्योरिटी कम्पनी होना बताया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा बृजमोहन शर्मा को परिवादी राजन वर्मा से 14000 रूपये ली गई रिश्वती राशि के बारे मे पूछा तो बृजमोहन शर्मा ने बताया कि राजन वर्मा ने मुझे 14000 रूपये दिये हे क्योंकि मैं सुपरएक्स सिक्युरिटी कम्पनी का सुपरवाईजर हूं। हमारी कम्पनी द्वारा हाउसिंग बोर्ड में सिक्यूरिटी गार्ड तथा अतिक्रमण हटाने के दौरान गार्ड उपलब्ध करवाई जाते है। इनकी बहन के मकान नम्बर मकान नं. 77/66, सेक्टर 7, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के सामने गेट नही हटाने, कार्यालय आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मंडल, खण्ड-तृतीय, जयपुर द्वारा जारी नोटिस में कार्यवाही नहीं करने के लिए शिकायतकर्ता से समझौता करवाने के लिए राशि दी है। इस पर उपस्थित परिवादी राजन वर्मा ने कहा कि बृजमोहन झुठ बोल रहा हैं, इन्होने मेरी बहन श्रीमति किरण कुमारी के मकान नं. 77/66, सेक्टर 7, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के सामने (गेट) हटाने के संबंध में कार्यालय आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मंडल, खण्ड-तृतीय, जयपुर सुभाषचन्द यादव द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 1156 दिनांक 07.02.2024 में कार्यवाही नहीं करने के लिए फील्ड आफीसर बृजमोहन द्वारा आवासन मंडल के यादव साहब के लिए 11,000 रूपये की रिश्वत राशि व स्वयं के लिए 3000 रूपये की मांग की थी और इसी मांग के अनुसरण में आज इन्होने मेरे से 14000 रूपये की रिश्वती राशि प्राप्त कर अपनी जैकट की दाहिनी जेब मे रखे है। इसके उपरान्त घटनास्थल पर भीडभाड होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु बृजमोहन को हाथो की कलाई से पकडी हुई अवस्था में मय हमराहियान के सरकारी वाहनों से प्रतापनगर थाने के लिए रवाना होकर समय करीब 3.20 पीएम पर थाना प्रतापनगर पर पंहुच कर प्रतापनगर थाने के स्वागत कक्ष मे अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की। उपस्थित बृजमोहन से परिवादी राजन वर्मा की बहन के मकान के अतिक्रमण के संबंध मे कार्यवाही नही करने के लिए ली गई 14000 रूपये रिश्वती राशि के बारे मे पुछने पर जेकेट की दाहिनी जेब मे रखी होना बताया जिसे उपस्थित गवाह श्री तुलसीराम से राशि निकलवा कर गिनवाई गई तो पांच-पांच सौ रूपये के 28 नोट कुल 14000 रूपये होना पाये गये व उक्त नोटों का फर्दपेशकशी मिलान करने पर बृजमोहन को दी जाने वाली रिश्वती राशि 14000 रूपये पांच -पांच सौ रूपये के 28 नोट मुताबिक फर्द पेशकशी के होना पाये जाने पर गवाह श्री तुलसीराम के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात परिवादी राजन वर्मा एवं उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप बाक्स से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोटल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी बृजमोहन शर्मा के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शिशीयों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क BR-1 व BR-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री राजन वर्मा तथा आरोपी श्री बृजमोहन शर्मा के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही ट्रेप बाॅक्स से दुसरा साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोटल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी बृजमोहन शर्मा के बांये हाथ की अगुंलियों को डुबोकर

धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी झांईनुमा हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की षीषियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क BL-1 व BL-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री राजन वर्मा तथा आरोपी श्री बृजमोहन शर्मा के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी बृजमोहन शर्मा के पहनी हुई जैकेट के बाहर की दाहिनी जेब मे रिश्वती राशि 14000 रूपये बरामद की गई थी, उसका धोवन लेने के लिए बृजमोहन शर्मा से जैकेट उतरवाकर ट्रेप बाक्स से दुसरा साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोटल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी बृजमोहन शर्मा की जेकेट की दाहिनी जेब का उलटवाकर जेबं को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की षीषियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क J-1 व J-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री राजन वर्मा तथा आरोपी श्री बृजमोहन शर्मा के हस्ताक्षर करवाये गये तथा जैकेट की जेब को सुखवाकर जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जैकेट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलमोहर कर मार्क J अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री राजन वर्मा तथा आरोपी श्री बृजमोहन शर्मा के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात गवाह श्री तुलसीराम के पास सुरक्षित रखवायी गई राशि को पुनः गिनवाया तो पांच सौ-पांच सौ रूपये के 28 नोट कुल 14000 रूपये होना पाये गये जिनका कार्यालय मे पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से पुनः मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने नोटों के नम्बरों का व फर्द मे अंकित नम्बरों से हुबहु मिलान होना बताया। बरामद शुदा नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाकर बरामद शुदा पांच-पांच सौ रूपये के 28 नोट कुल 14000 रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर गवाहान व परिवादी तथा आरोपी श्री बृजमोहन शर्मा के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी बृजमोहन शर्मा की जामा तलाशी गवाह श्री तुलसीराम से लिवाई गई तो पहनी हुई पेन्ट की जेब में दो मोबाईल फोन क्रमश आईफोन प्रो मैक्स 14 जिसमें सिम नम्बर 9928998883 एयरटेल कम्पनी की एवं मोबाईल ओपो कम्पनी का मिला जिसमें सिम नम्बर 9928748877 एयरटेल होना पाई गई। जिन्हे कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी से पूर्व में प्राप्त किये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपीगण के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता रिकार्ड होना पायी गई। आरोपी बृजमोहन शर्मा से पुनः परिवादी राजन वर्मा से 14000 रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारे मे पुछा तो बृजमोहन शर्मा ने बताया कि यह राशि मैने मेरे स्वंय के लिए ली है इसमें किसी अन्य का अथवा आवासन मण्डल के किसी अधिकारी/कर्मचारी का कोई हिस्सा नही होना बताया। इस पर आरोपी बृजमोहन शर्मा को मन पुलिस निरीक्षक ने अवगत कराया कि आपकी कल दिनांक 21.02.2024 को परिवादी राजन वर्मा से हुई सत्यापन वार्ता में आप द्वारा परिवादी से 11000 रूपये रिश्वती राशि साहब को देने के लिए तथा उनसे मिलाने की बात कही है तथा 3000 रूपये स्वंय के लिए लेने की बात कही है तथा परिवादी की बहन के मकान के अतिक्रमण के संबंध में आवासन मण्डल के आवासीय अभियन्ता सुभाष यादव द्वारा नोटिस जारी किया गया है तथा सत्यापन वार्ता एवं अब तक के तथ्यों से उक्त 14000 रूपये की रिश्वती राशि में से 11000 रूपये आवासन मण्डल के साहब सुभाष यादव का हिस्सा होने के प्रारम्भिक तथ्य ज्ञात हुये है क्या आप द्वारा परिवादी से प्राप्त की गई 14000 रूपये की रिश्वती राशि में से 11000 रूपये सुभाष यादव के लिए लिये है इस पर बृजमोहन शर्मा ने कहा कि मेरे द्वारा राजन वर्मा से 14000 रूपये मेरे लिए ही लिये है इसमे हाउसिंग बोर्ड के सुभाष यादव व अन्य का कोई हिस्सा नही है। फिर भी अब तक के तथ्यो के अनुरूप परिवादी राजन वर्मा की बहन के मकान के अतिक्रमण के संबध मे नोटिस आवासन मण्डल के आवासीय अभियन्ता सुभाष यादव द्वारा जारी किया गया है एवं इस संन्दर्भ में कार्यवाही नही करने के लिए बृजमोहन द्वारा 11000 रूपये साहब के लिए व 3 हजार रूपये स्वंय के लिए परिवादी से मांग के अनुसरण में 14000 रूपये प्राप्त किये गये है अतः उपस्थित परिवादी राजन वर्मा के मोबाईल नम्बर 9811151897 से सुभाष यादव के मोबाईल नम्बर 9982221822 पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर आन कर वार्ता करायी तथा उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर में 8 जीबी का नया एसडी कार्ड डालकर रिकार्ड किया गया। वार्ता मे परिवादी राजन वर्मा ने सुभाष यादव को काल कर कहा कि सर मैं मकान नम्बर 77/66 से राजन वर्मा बोल रहा हूं, मैं परसों भी आया था आप मिले नही, मेरी बृजमोहनजी से बात हुई थी उन्होने बोला था कि 11 हजार रूपये आपके लिए और 3 हजार रूपये उनके लिए मैने 14000 रूपये दे दिये है तो सुभाष यादव ने कहा किस चिज के तो परिवादी राजन ने कहा कि सर गेट के मैटर के इस पर सुभाष यादव ने कहा कि बकवास करने की जरूरत नही है हरामखोर कहीं के गाली देते हुये फोन काट दिया। इसके बाद आरोपी श्री अशोक गौतम को रूबरू स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपनी आवाज नमूना देने हेतु जरिये फर्द नोटिस दिया तो आरोपी अशोक गौतम ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित मे मना किया गया। समय 06.00 पीएम पर आरोपी श्री अशोक गौतम को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात् श्री बृजमोहन शर्मा को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपनी आवाज नमूना देने हेतु जरिये फर्द नोटिस दिया तो आरोपी बृजमोहन शर्मा ने

अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित मे मना किया गया। समय 06.40 पीएम पर आरोपी श्री बृजमोहन शर्मा हाल सुपरवाईजरी सुपर एक्स सिक्योरिटी कम्पनी जयपुर को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सुश्री किरण कुमारी पुत्री श्री कृष्ण कुमार निवासी 77/66 सेक्टर 7, प्रतापनगर जयपुर को जारी नोटिस क्रमांक 1156 दिनांक 07.02.2024 से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां पृष्ठ संख्या 01 से 24 तक प्राप्त की गई। समय 07.15 पीएम पर बाद कार्यवाही मन पुलिस निरीक्षक मय श्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक पुलिस, श्री भंवर सिंह पुलिस निरीक्षक, अशोक कुमार हैड कानि. 149, श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 55, श्री विरेन्द्र कुमार कानि0 66, श्री शफी मोहम्मद कानि. 173, श्रीमती ममता म. कानि. 251, श्री वीरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री पूरण सिंह हैड कानि0 95 मय परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह श्री तुलसीराम वरिष्ठ सहायक, श्री जगदीश नावरिया कनिष्ठ सहायक मय टेप बाक्स, लेपटाप प्रिनटर एवं दौराने कार्यवाही सिल्डशुदा आर्टिकल्स, रिश्वती राशि मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री अशोक गौतम व श्री बृजमोहन शर्मा को हमराह लेकर सरकारी वाहनों से एसीबी कार्यालय रवाना होकर समय 08.00 पीएम पर कार्यालय पहुंचा एवं सिल्डशुदा आर्टिकल्स व रिश्वती राशि सुरक्षित कार्यालय की अलमारी मे रखे गये। समय 08.15 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी राजन वर्मा की उपस्थिति में दिनांक 21.02.2024 को परिवादी राजन वर्मा व आरोपीगण अशोक गौतम व बृजमोहन शर्मा के मध्य सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 22.02.2024 को रिश्वत लेनदेन के वक्त परिवादी राजन वर्मा तथा आरोपी अशोक गौतम व बृजमोहन शर्मा के मध्य वार्ता है जो डिजिटल वायस रिकार्डर में लगे एसडी कार्ड में परिवादी के माध्यम से रिकार्ड की गई थी, को कार्यालय के लेपटाॅप की सहायता से सुना गया, जिसमें परिवादी श्री राजन वर्मा द्वारा अपनी व आरोपी श्री अशोक गौतम व श्री बृजमोहन शर्मा की आवाज की पहचान गवाहान की उपस्थिति में करने के पश्चात फर्द ट्रासंक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेन देन वार्ता पृथक से तैयार कर मुताबिक फर्द सीडियां तैयार कर शील्ड मोहर कर संबधित हस्ताक्षर करवाये गये तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता मे उपयोग मे लिये गये मैमोरी कार्ड sandisk ultra 32 Gb को एक प्लास्टिक कवर मे रखकर माचिस की डिब्बी मे डालकर कपडे की थैली मे डाला जाकर सिल्ड मोहर कर परिवादी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.05 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी राजन वर्मा की उपस्थिति में दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी राजन वर्मा के मोबाईल नम्बर 9811151897 से आवासन मण्डल के अधिकारी श्री सुभाष यादव के मोबाईल नम्बर 9982221822 पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर आन कर वार्ता करायी तथा उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर में 8 जीबी का नया एसडी कार्ड डालकर रिकार्ड किया था, उक्त एसडी कार्ड मे दर्ज वार्ता को कार्यालय के लेपटाॅप की सहायता से सुना जाकर फर्द ट्रासंक्रिप्ट मोबाईल वार्ता पृथक से तैयार कर मुताबिक फर्द सीडियां तैयार कर शील्ड मोहर कर संबधित हस्ताक्षर करवाये गये उक्त वार्ता मे उपयोग मे लिये गये मैमोरी कार्ड Rajm6 8GB को एक प्लास्टिक कवर मे रखकर माचिस की डिब्बी मे डालकर कपडे की थैली मे डाला जाकर सिल्ड मोहर कर परिवादी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार अब तक की उपरोक्त समस्त कार्यवाही तथा तथ्यों से आरोपी अशोक गौतम द्वारा परिवादी राजन वर्मा की बहन के मकान के गेट के निर्माण संबंधी आवासन मण्डल प्रतापनगर द्वारा जारी नोटिस मे कार्यवाही नही करने के लिए परिवादी राजन वर्मा को गेट संबंधी निर्माण हाउसिंग बोर्ड से तुडवाने का भय दिखाकर तथा आवासन मण्डल प्रतापनगर के डिप्टी साहब से कार्यवाही नही करवाने का आश्वासन देकर 8000 रूपये की रिश्वत की मांग लोकसेवक के नाम पर स्वंय के लिए करते हुये स्वंय के मोबाईल पर पूर्व मे 4500 रूपये रिश्वत राशि आॅनलाईन प्राप्त की गई तथा शेष 3500 रूपये आज दिनांक 22.02.2024 को प्राप्त की गई जिससे आरोपी अशोक गौतम के विरूद्व धारा 7ए पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 384 भादस का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। आरोपी बृजमोहन शर्मा जो सुपरएक्स सिक्यूरिटी एजेन्सी मे सुरवाईजर के पद पर कार्यरत है तथा बृजमोहन शर्मा द्वारा वर्तमान में आवासन मण्डल प्रतापनगर जयपुर में सिक्यूरिटी एजेन्सी के माध्यम से सुपरवाईजर का कार्य किया जाता है तथा इस कार्य में इनके स्वंय द्वारा व अपने अधिनस्थ उपलब्ध गार्डो द्वारा हाउसिंग बोर्ड के अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्य किये जाने के कारण बृजमोहन शर्मा द्वारा परिवादी राजन वर्मा की बहन के मकान के गेट के निर्माण संबंधी आवासन मण्डल प्रतापनगर द्वारा जारी नोटिस मे कार्यवाही नही करने के लिए परिवादी राजन वर्मा को गेट संबंधी निर्माण हाउसिंग बोर्ड से नही तुडवाने के लिए आवासन मण्डल के साहब सुभाष चन्द्र यादव आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड तृतीय, जयपुर के नाम पर 11 हजार रूपये व स्वंय के लिए 3 हजार रूपये कुल 14000 रूपये की रिश्वत की मांग की गई तथा मांग के अनुसरण मे आज दिनांक 22.02.2024 को बृजमोहन शर्मा द्वारा परिवादी राजन वर्मा से 14000 रूपये रिश्वती राशि प्राप्त की गई जिससे आरोपी बृजमोहन शर्मा के विरूद्व धारा 7ए पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः 1. श्री अशोक गौतम पुत्र स्व. श्री जितसिंह गौतम, जाति ब्राहम्ण, उम्र 54 साल, निवासी ग्राम जनुथर, तहसील डीग पुलिस थाना डीग जिला डीग हाल मकान नम्बर 175/10, प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7ए पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 384 भादस तथा 2. श्री बृजमोहन शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा, उम्र 31 साल, निवासी ग्राम रामसरपालावाला, तहसील बस्सी, थाना कानोता जिला जयपुर हाल फ्लेट नम्बर ए-503, गौमती अपार्टमेन्ट, सेक्टर 18, प्रतापनगर, जयपुर हाल सुपरवाईजरी सुपर एक्स सिक्योरिटी कम्पनी जयपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7ए पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम

सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (छोटीलाल) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर के माध्यम से श्री छोटीलाल, निरीक्षक पुलिस ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से आरोपी 1. श्री अशोक गौतम पुत्र स्व. श्री जितसिंह गौतम, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम जनुथर, तहसील डीग पुलिस थाना डीग जिला डीग हाल मकान नम्बर 175/10, प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 384 भादस तथा आरोपी 2. श्री बृजमोहन शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा, निवासी ग्राम रामसरपालावाला, तहसील बस्सी, थाना कानोता जिला जयपुर हाल फ्लेट नम्बर ए-503, गौमती अपार्टमेन्ट, सेक्टर 18, प्रतापनगर, जयपुर हाल सुपरवाईजरी सुपर एक्स सिक्योरिटी कम्पनी जयपुर के विरूद्व अन्तर्गत जुर्म धारा 7ए पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 35/2024 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्व कर अनुसंधान अधिकारी श्री मूलचन्द मीना, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ, जयपुर को अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द कर प्रतियाँ नियमानुसार कताकर जारी की गई। उक्त की रोजनामचा आम रपट 348 अंकित है।(रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।क्रमांकः- 171-73 दिनांक 23.2.2024प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।2.उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।3.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय जयपुर।उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MOOL CHAND MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/02/2024 13:18:54

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Randheer Singh
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1970				
2	Male	1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)